

# समाहरणालय, सुपौल

(स्थापना शाखा)

आदेश

चिर लंबित आधारभूत माँगों की पूर्ति नहीं होने के कारण दिनांक 01.09.2020 से 03.09.2020 तक जिलान्तर्गत सभी विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों के द्वारा सामूहिक अवकाश पर जाने की सूचना अध्यक्ष, बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ, जिला इकाई—सुपौल के पत्रांक 19/बेऐसा दिनांक 27.08.2020 द्वारा दी गई है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय, सुपौल के आदेशानुसार सभी संबंधित कार्यालय प्रधानों को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 01.09.2020 से 03.09.2020 तक COVID-19 के मद्देनजर कार्यपालक सहायकों द्वारा समर्पित सामूहिक अवकाश हेतु आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उक्त अवधि का "No Work No Pay" के सिद्धांत पर मानदेय भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

सं०सं०-19-87/2018-20 के टि०पृ०सं०-08/टि० पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पृष्ठांकित आदेश।

६०१  
जिला स्थापना उप समाहर्ता,  
सुपौल।

ज्ञापांक.....765-2/स्था०, सुपौल, दिनांक...01-09-2020

- प्रतिलिपि:— सुपौल जिलान्तर्गत सभी संबंधित विभाग/कार्यालय के कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC), सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को जिला के वेबसाईट/ई-मेल के माध्यम से सभी संबंधितों को संसूचित किया जाय।
- प्रतिलिपि:— अपर समाहर्ता, आपदा, सुपौल/उप विकास आयुक्त, सुपौल/अपर समाहर्ता, सुपौल/पुलिस अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

०१.०९.२०  
जिला स्थापना उप समाहर्ता,  
सुपौल।